

प्रेस नोट – थाना शमसाबाद

दिनांक :- 24.05.2024

थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0- 263/2023 धारा- 286 भादवि, 9बी विस्फोटक अधि0 व 5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना शमसाबाद पुलिस द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 263/2023 धारा- 286 भादवि, 9बी विस्फोटक अधि0 व 5 विस्फोटक पदार्थ अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त सतीश चन्द्र पुत्र अनोखेलाल निवासी ललौर थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 50 वर्ष को आज दिनांक 24.05.2024 को गिरफ्तार कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. सतीश चन्द्र पुत्र अनोखेलाल निवासी ललौर थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़।

संक्षिप्त विवरण:- थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ पर वादी FSSO श्री शिवप्रताप पुत्र स्व० श्री भदाई निवासी बारीगाँव थाना साड जनपद कानपुर नगर की लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 263/2023 धारा 286 भादवि, 9बी विस्फोटक अधि० व 5 विस्फोटक पदार्थ अधि० बनाम सतीश चन्द्र पुत्र अनोखेलाल निवासी ललौर थाना शमसाबाद दिनांक 04.04.2023 को पंजीकृत होकर विवेचना के क्रम में अभियुक्त सतीश चन्द्र उपरोक्त को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण:- सतीश चन्द्र पुत्र अनोखेलाल निवासी ललौर थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ ने पूछने पर बताया कि मेरी गांव के बाहर खेतों पर अतिशबाजी की 50kg लाइसेंसी शुदा दुकान है दिनांक 04.11.2023 को सुबह करीब 9-10 बजे मैं अपनी अतिशबाजी की दुकान पर अनार की टेस्टिंग कर रहा था कि अचानक अनार फट गया और उसकी चिंगारी जाकर पास में बनी दुकान में गिर गई जिससे धमाका हो गया था।

अभियुक्त इन्द्रवेश उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु०अ०सं०- 263/2023 धारा- 286 भादवि, 9बी विस्फोटक अधि० व 5 विस्फोटक पदार्थ अधि० थाना शमसाबाद
अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली थाना शमसाबाद पुलिस टीम -

1. SO बलराज भाटी
2. उ०नि० अमित कुमार
3. का० मोहन लाल

मीडिया सेल फतेहगढ़।

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फतेहगढ़

दि०-24.05.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. दर्शन लाल पुत्र श्री श्यामलाल 2. बसन्ती देवी पत्नी श्री दर्शन लाल 3. रामरूप पुत्र दर्शन लाल समस्त निवासीगण वारी थाना अरौल जनपद हरदोई मु०अ०सं०- 133/2002 वाद स०- 317/2007 धारा- 304/34,323/34,504,506 IPC थाना को० फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 24.05.2024 को मा० न्यायालय एडीजे -05 कोर्ट फर्रुखाबाद द्वारा अभि० गण दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 05-05 वर्ष का कारावास व 51-51 हजार रू० के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी- श्री कृष्ण कुमार पाण्डेय



कोर्ट मोहरीर म०का० ज्योति यादव



पैरोकार हे०का० नरेन्द्र सिंह





Kampil, Uttar Pradesh, India
J77G+27Q, Kampil, Uttar Pradesh 209505, India
Lat 27.612914°
Long 79.275734°
24/05/24 10:31 AM GMT +05:30



Jahan Ganj, Uttar Pradesh, India
/H33+6MX, Jahan Ganj, Pataunja, Uttar Pradesh 209739, India
Lat 27.263091°
Long 79.554248°



Kamalganj, Uttar Pradesh, India
58, Farrukhabad, near Police Station, Kamalganj, Uttar Pradesh 20972
Lat 27.2641°
Long 79.630966°
24/05/24 10:41 AM GMT +05:30

